



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1943 (श10)
(सं0 पटना 1024) पटना, बृहस्पतिवार, 23 दिसम्बर 2021

Å t k foHkx

vf/k l puk

7 दिसम्बर 2021

सं० प्र०/BSP(H)CL-03/2021-07—आर०ई०सी० द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए अनुमोदित नई स्कीम Revamped Distribution Sector Scheme-A Reforms Based and Results Linked Scheme की मार्गदर्शिका के आलोक में डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म कमिटी (डी०आर०सी०) का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	संयोजक

डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म कमिटी (डी०आर०सी०) के निम्न कार्य होंगे:-

- राज्य स्तर पर योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करना।
- राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु कार्य योजना (Action Plan) की अनुशंसा करना।
- मोनिटोरिंग कमिटी की स्वीकृति हेतु डी०पी०आर० की अनुशंसा करना।
- नोडल एजेंसी की सहमति से क्रियान्वयन के तरीके में बदलाव की स्वीकृति करना।
- कार्य योजना (Action Plan) के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
- योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ गुणवत्ता की समीक्षा करना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
t okj i l kn]
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1024-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>